



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 205]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 17, 2017/वैशाख 27, 1939

No. 205]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 17, 2017/VAISAKHA 27, 1939

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 5 मई, 2017

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) (पहला संशोधन) विनियम, 2017

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/7/144/2017 – बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धाराओं 14 और 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की धाराओं 42डी, 42ई, 64यूएम और 114ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम, और प्रारंभ.—

(क) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) (पहला संशोधन) विनियम, 2017 के नाम से जाने जाएँगे।

(ख) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 में

क. विनियम 3(2)(iii) में शब्द "उपर्युक्त 3(2)(iii) में उल्लिखित परीक्षा पुनः देने से छूट प्राप्त है" से पहले शब्द "विनियम 3(8)(3) के अधीन" रखे जाएँगे।

ख. विनियम 3(8)(2) के बाद एक नया खंड (3) निम्नानुसार निविष्ट किया जाएगा:

विनियम 3(8)(3): लाइसेंस के लिए आवेदन अपेक्षाएँ पूरी करने के बाद नामांकन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा।

बशर्ते कि इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख को प्राधिकरण के पास प्रशिक्षणार्थियों के रूप में जिनका नामांकन किया गया हो, वे अपेक्षाएँ पूरी करने के बाद अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष अथवा नामांकन की तारीख से 5 वर्ष, जो भी बाद में हो, के अंदर लाइसेंस के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

ग. विनियम 6(3)(I)(ड) को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा:

अर्हता का प्रमाण (नोटरीकृत) अथवा दिनांक 30 मार्च 2002 के आईआरडीए/आदेश/ एसएलए/30/3/2002 के अनुसार किये गये श्रेणीकरण के अनुसार पात्र विभाग बताते हुए प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया श्रेणीकरण पत्र।

विनियम 17(3) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

लाइसेंसधारी सर्वेक्षक जो प्रशिक्षण देता है, को पिछले 8 वर्षों से उस विशिष्ट विभाग में सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए वैध लाइसेंस धारित करना चाहिए।

घ. विनियम 17(6) को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा:-

(6) यदि प्राधिकरण द्वारा पहले से लाइसेंस प्रदान किया गया कोई सर्वेक्षक और हानि निर्धारक उस विभाग को छोड़कर जिसके लिए उसे लाइसेंस दिया गया है, साधारण बीमा व्यवसाय के किसी अन्य विभाग में सर्वेक्षक के रूप में कार्य करने के लिए उसी प्रकार का लाइसेंस प्राप्त करने की अपेक्षा करता है, तो वह उस विशिष्ट विभाग में कार्य करने के लिए पिछले आठ वर्षों से वैध लाइसेंस धारण करनेवाले लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के अधीन छह महीने से अन्यून अवधि के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करेगा।

ड. अनुसूची-1 के अनुबंध-1 में निम्नानुसार संशोधन किया जाएगा:

### अनुसूची-1

### अनुबंध-1

#### आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015

#### सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के नामांकन और लाइसेंसीकरण के लिए योग्यता मानदंड

#### (विनियम 3)

क्रम सं.	विभाग	शैक्षिक/तकनीकी/व्यावसायिक/बीमा योग्यताएँ
1.	फायर	बी.ई./बी.टेक./बी.एससी.(इंजीनियरिंग)/ए.एम.आई.ई. अथवा उसकी समकक्ष, सी.ए./आई.सी.डब्ल्यू.ए.,ए.आई.आई.आई./ एफआईआईआई/ आईआईआरएम से बीमा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा;
2.	मरीन कार्गो	बी.ई./बी.टेक./बी.एससी.(इंजीनियरिंग)/ए.एम.आई.ई. अथवा उसकी समकक्ष (मरीन इंजीनियरिंग/नौसंरचना)/मान्यताप्राप्त प्राधिकरण द्वारा जारी जहाज के मास्टर के रूप में क्षमता का प्रमाणपत्र अथवा प्रथम श्रेणी के मरीन इंजीनियर की उपाधि/, किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान/ए.आई.आई.आई./एफ.आई.आई.आई./सी.ए./आई.सी.डब्ल्यू.ए. की नौ-रचना में उपाधि अथवा डिप्लोमा/ आई.आई.आर.एम. से बीमा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा;
3.	मरीन हल	बी.ई./बी.टेक./बी.एससी.(इंजीनियरिंग)/ए.एम.आई.ई. अथवा उसकी समकक्ष (मरीन इंजीनियरिंग/नौ-संरचना)/किसी मान्यताप्राप्त प्राधिकरण द्वारा जारी जहाज के मास्टर के रूप में क्षमता का प्रमाणपत्र अथवा प्रथम श्रेणी के मरीन इंजीनियर की उपाधि;
4.	इंजीनियरिंग	बी.ई./बी.टेक./बी.एससी.(इंजीनियरिंग)/ए.एम.आई.ई. अथवा उसकी समकक्ष, किसी मान्यताप्राप्त संस्था से 3 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा उसकी समकक्ष योग्यता;
5.	मोटर	बी.ई./बी.टेक./बी.एससी.(इंजीनियरिंग)/ए.एम.आई.ई. अथवा उसकी समकक्ष (मेकानिकल/ऑटोमोबाइल); मेकानिकल इंजीनियरिंग/ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में किसी मान्यताप्राप्त संस्था से 3 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा उसकी समकक्ष योग्यता;

6.	विविध	बी.ई./बी.टेक./बी.एससी.(इंजीनियरिंग)/ए.एम.आई.ई.अथवा उसकी समकक्ष योग्यता; किसी मान्यताप्राप्त संस्था से 3 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा उसकी समकक्ष योग्यता; सी.ए./आई.सी.डब्ल्यू.ए.; ए.आई.आई.आई./ एफ.आई.आई.आई./ आईआईआरएम से बीमा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा;
7.	एलओपी	सी.ए./आई.सी.डब्ल्यू.ए.; ए.आई.आई.आई./एफ.आई.आई.आई.
8.	फसल बीमा	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में बी.एससी.

टिप्पणी:

- नामांकन और लाइसेंसिकरण हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए आवेदक को नियमित छात्र के रूप में पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में उपस्थित होने के बाद किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से स्नातक की उपाधि (डिग्री) अथवा डिप्लोमा प्राप्त कर चुका होना चाहिए अथवा अंशकालिक पाठ्यक्रम से संबंधित संस्थान अथवा विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया समतुल्यता प्रमाणपत्र प्राप्त कर चुका होना चाहिए।

बशर्ते कि पाठ्यक्रमों अर्थात् ए.एम.आई.ई.; सी.ए./आई.सी.डब्ल्यू.ए. और ए.आई.आई.आई./ एफ.आई.आई.आई. के मामले में पाठ्यक्रम समापन के प्रमाणपत्र को वैध अर्हता के रूप में माना जाता है।

- उपर्युक्त सभी तकनीकी उपाधि (डिग्री)/डिप्लोमा निम्नलिखित से प्राप्त किये जाएँगे

क. एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थाएँ अथवा

ख. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा

ग. मानव संसाधन विकास विभाग (एमएचआरडी) द्वारा मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएँ।

- विनियम 21(iv) को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा:

छमाही की समाप्ति से 45 दिन के अंदर इन विनियमों की अनुसूची II के अंतर्गत निर्धारित निम्नानुसार फार्म-आईआरडीए-19 के अनुसार छमाही रिपोर्ट

## अनुसूची-II\*

## फार्म आईआरडीएआई-19

## विनियम 21 (iv)

31 मार्च \_\_\_\_\_ / 30 सितंबर \_\_\_\_\_ को समाप्त छमाही के लिए सर्वेक्षण कार्यो संबंधी रिपोर्ट

साधारण बीमाकर्ता का नाम:						
रिपोर्टिंग तारीख को आंतरिक कर्मचारी सर्वेक्षकों की संख्या						
क्रम सं.	व्यवसाय की श्रेणी	सूचित किये गये दावों की संख्या	उन दावों की संख्या जिनके लिए एसएलए विनियमों के अनुसार सर्वेक्षक की नियुक्ति अपेक्षित थी	आंतरिक कर्मचारी सर्वेक्षकों द्वारा किये गये सर्वेक्षण	आंतरिक कर्मचारी सर्वेक्षकों को छोड़कर अन्य के द्वारा किये गये सर्वेक्षण	
					वैयक्तिक	कॉरपोरेट
1	फायर					
2	मरीन कार्गो					
3	मरीन हल					
4	इंजीनियरिंग					
5.क	मोटर नकदी रहित					

5ख	मोटर नकदी रहित को छोड़कर अन्य					
6	एसएलए विनियमों के अनुसार विविध					
7	एलओपी (लाभों की हानि)					
8	फसल					
कुल:						

मैं इसके द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक स्वीकार करता/करती हूँ कि ऊपर प्रस्तुत किया गया विवरण मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

दिनांक:

\*फार्म आईआरडीएआई-19 अनुसूची-II में निविष्ट किया गया है।

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./69/17]

## INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

### NOTIFICATION

Hyderabad, the 5<sup>th</sup> May, 2017

#### Insurance Regulatory and Development Authority of India

#### (Insurance Surveyors and Loss Assessors) (First Amendment) Regulations, 2017

**F. No. IRDAI/Reg/7/144/2017** - In exercise of the powers conferred by Sections 42D, 42E, 64UM and 114A of the Insurance Act, 1938 read with 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following amendments to Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations, 2015, namely:—

1. Short title and commencement: -

A. These regulations may be called Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Surveyors and Loss Assessors) (First Amendment) Regulations, 2017.

B. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations, 2015

A. In Reg. 3(2)(c), after the words “is exempt from taking examination once again stated under 3(2)(c) above”, the words “subject to Reg.3(8)(c)” shall be inserted.

B. After Reg.3(8)(b), a new clause (c) shall be inserted as under:

Reg. 3 (8)(c): The application for license shall be submitted within a period of 5 years from the date of enrolment after meeting the requirements. Provided that those who have enrolled as trainees with the Authority as on the date of notification of these Regulations, shall apply for license after meeting the requirements within one year from the date of notification or 5 years from the date of enrolment, whichever is later.

C. Reg. 6(3) (a)(v) shall be amended as under:

Proof of qualification (notarized) or categorization letter issued by the Authority stating the eligible Departments in accordance with the categorization made vide IRDA/Order/SLA/30/3/2002 dated 30<sup>th</sup> March, 2002.

D. Reg. 17(3) shall be substituted as under:

The licensed surveyor who provides training should have held a valid license to act as Surveyor and Loss Assessor in that particular department for the last 8 years.

E. Reg. 17(6) shall be amended as under:

(6) If a Surveyor and Loss Assessor already licensed by the Authority seeks to obtain a similar license for acting as a surveyor in a department of general insurance business other than for which he has been licensed, he shall undergo a period of training of not less than six months under a licensed Surveyor and Loss Assessor holding a valid license to act in that particular Department for the last 8 years.

F. Annexure-1 to Schedule I shall be amended as under:

SCHEDULE-I

**Annexure-1**

IRDAI (Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations, 2015

**Qualification Criteria for Enrolment and Licensing of Surveyors and Loss Assessors (Regulation 3)**

S.No	Department	Academic/technical/Professional/Insurance Qualifications
1.	Fire	B.E./ B. Tech./ B.Sc. (Engg.)/ A.M.I.E. or its equivalent, C.A./ I.C.W.A., A.I.I.I./ F.I.I.I./Post Graduate Diploma in Insurance from IIRM
2.	Marine Cargo	B.E./ B.Tech./ B.Sc. (Engg.)/ A.M.I.E. or its equivalent thereof (Marine Engineering/ Naval Architecture)/ certificate of competency as Master of Ship or as First Class Marine Engineer issued by a recognized authority, Degree or diploma in Naval Architecture of a recognized University or Institute./ A.I.I.I./ F.I.I.I./ C.A./I.C.W.A /Post Graduate Diploma in Insurance from IIRM;
3.	Marine Hull	B.E./ B.Tech./ B.Sc. (Engg.)/ A.M.I.E. or its equivalent thereof (Marine Engineering/ Naval Architecture)/ certificate of competency as Master of Ship or as First Class Marine Engineer issued by a recognized authority,
4.	Engg.	B.E./ B.Tech./ B.Sc. (Engg.)/ A.M.I.E. or its equivalent , Diploma of 3 years duration from a recognised institution or its equivalent thereof
5.	Motor	B.E./ B.Tech./ B.Sc. (Engg.)/ A.M.I.E. or its equivalent thereof (Mechanical/ Automobile); Diploma in Mechanical Engineering/ Automobile Engineering of 3 years duration from a recognised institution or its equivalent thereof ;
6.	Miscellaneous	B.E./ B.Tech./ B.Sc. (Engg.)/ A.M.I.E. or its equivalent; Diploma of 3 years duration from a recognised institution or its equivalent; C.A./ I.C.W.A.; A.I.I.I./ F.I.I.I./ Post Graduate Diploma in Insurance from IIRM;
7.	LOP	C.A./I.C.W.A; A.I.I.I./ F.I.I.I
8.	Crop Insurance	B. Sc. in Agricultural Science from a recognised University

**Note:**

1. In order to qualify for enrolment and licensing, an applicant should have secured a degree or diploma of a recognized Institute after attending full time course as a regular student or part time course with equivalency certificate issued by the respective Institute/University.

Provided in case of courses viz. A.M.I.E; C.A./ I.C.W.A and A.I.I.I./F.I.I.I., course completion certificate is treated as valid qualification.

2. All technical Degree/Diploma stated above shall be obtained from

- AICTE approved Institutions or
- Universities recognized by University Grants Commission or
- institutions of national importance recognized by Ministry of Human Resources Development (MHRD).

G. Reg. 21(4) shall be amended as under:

Half-yearly report as per the Form-IRDAI-19 prescribed under Schedule II of these regulations as under within 45 days from the end of the half year.

Schedule II\*

Form IRDAI-19

Regulation 21 (4)

REPORT ON SURVEY JOBS FOR THE HALF YEAR ENDING ON 31<sup>st</sup> MARCH, \_\_\_\_\_/ 30<sup>th</sup> September \_\_\_\_\_

Name of the General Insurer:						
No. of inhouse employee surveyors as on reporting date						
Sl. No.	Line of Business	No. of claims reported	No. of claims which required appointment of surveyor as per SLA regulations	Surveys undertaken by in house employee surveyors	Surveys undertaken by other than in house employee surveyors	
					Individual	Corporate
1	Fire					
2	Marine Cargo					
3	Marine Hull					
4	Engineering					
5.a	Motor cashless					
5.b	Motor other than cash less					
6	Miscellaneous as per SLA Regulations					
7	LOP (Loss of Profits)					
8	Crop					
Total :						

I hereby solemnly acknowledge that the details provided above are true to the best of my knowledge.

Date:

Authorized Signatory

\*Form IRDAI-19 is inserted to Schedule II.

T.S. VIJAYAN, Chairman

[ADVT. III/4/Exty/69/17]